

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 218/2021 (धारा 14 शिकोरिटाईजेशन)

दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लि0 पंजीकृत कार्यालय वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई तथा शाखा कार्यालय 302/5, तृतीय तल जयपुर टावर एम. आई. रोड जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार मादव ।

प्राधी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती रश्मि शर्मा पत्नी स्व. श्री तरुण शर्मा
पता :- प्लॉट नम्बर 53, चाणक्यपुरी, तेलीवाडा, जगतपुरा, जयपुर।
एवं रश्मि कन्सल्टेशन, 7 नम्बर बस स्टेण्ड, आई.सी.आई.सी बैंक के सामने, जगतपुरा, जयपुर।
2. श्री प्रवीण मिश्रा
पता :- प्लॉट नम्बर 2, नंदपुरी, वार्ड नम्बर 33, जयपुर।

अप्राधीगण

ऋणी एवं गारन्टर



Application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्राधी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश


दिनांक 03.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राधी वित्तीय संस्था ने अप्राधी ऋणी को दिनांक 30.12.2018 को पुनर्मुग्तान हेतु जमागत प्रतिभूति के रूप में अप्राधी श्रीमती रश्मि शर्मा पत्नी स्व. श्री तरुण शर्मा के स्वामित्व की सम्पति प्लॉट नम्बर 53 का दक्षिणी हिस्सा, चाणक्यपुरी, तेलीवाडा, जगतपुरा, जयपुर बीनफल 8221 वर्गमज को बन्धक रख कर 27,06,427/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राधी ऋणी द्वारा प्राधी वित्तीय संस्था को ऋण मुग्तान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राधी ऋणी को दिनांक 29.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज मुग्तान नहीं करने पर प्राधी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्राधीना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भीतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्राधीना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्राधी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्राधीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10 नवम्बर 2003 से क्रम संख्या 6 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 27,06,427/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि नय ब्याज कुल 23,04,338/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.04.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती रश्मि शर्मा पत्नी स्व. श्री तरुण शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 53 का दक्षिणी हिस्सा, चाणक्यपुरी, तेलीवाडा, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 82.21 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 03.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।




 (राजन विशाल)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर